न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -04/2023

अनवान

राम गोपाल पुत्र नारायण जी मीणा, निवासी बड़ोदिया,तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

- प्रार्थी

बनाम

1. मौनिका पत्नी घनश्याम सोनी, निवासी बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
2. मांगीलाल पुत्र कालू मीणा, निवासी वड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
3. द्वारका लाल पुत्र राधाकिशन मीणा, निवासी बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा।
5. कैलाश कंवर पत्नी रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी वड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
6. रूप कंवर पत्नी जुगराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी वड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
7. घनश्याम पुत्र भेरूलाल, जाति लोहार, निवासी बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
8. जुगराज पुत्र भेरूलाल, जाति लोहार, निवासी बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
9. प्रहलाद बाई पुत्री भेरूलाल, जाति लोहार, निवासी वड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
10. रतनलाल पुत्र भेरूलाल, जाति लोहार, निवासी वड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
11. राम प्रताप पुत्र भेरूलाल, जाति लोहार, निवासी बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा।
12. सुमित्रा वाई पुत्री भेरूलाल, जाति लोहार, निवासी बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा

-प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक अप्रार्थी, पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 30.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी की ग्राम बड़ौदिया प0ह0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076-79 की खाता संख्या 229 खसरा संख्या 167/773 रकबा 2.43 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त आराजी पर मै कदीमी समय से बड़ौदिया से भगवतपुरा की गाड़ी गड़ार से होते हुए खसरा संख्या 576, 575, 167 जो नक्शा ट्रेस में ए.बी.सी.डी. मार्क दर्शा रखा है से आता जाता हूं तथा बरसों से काश्त के लिए वाहन भी आते जाते है। आज से करीब सात दिवस पूर्व मैं प्रार्थी खेत पर ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तो मौके पर खसरा संख्या 576 जो अप्रार्थी संख्या 03 है ने पत्थर की दिवार चुनकर रास्ता बन्द कर दिया जिससे मैं मेरे खते पर नहीं जा पाया अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आपसी सहमति से ही मेरे खेत पर आने-जाने का रास्ता बंद किया गया है। मैंने सभी से रास्ता बंद नहीं करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी नही माने। मुझ प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 167/773 पर आने-जाने का मात्र नक्शे में दर्शाया ए.बी.सी.डी. मार्ग ही है इसके अलावा अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी मुझे निकलने नहीं दे रहे है जिससे मेरी धनिये की फसल नष्ट हो जायेगी जिससे मुझे आर्थिक हानि होग। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान नक्शा में अंकित मार्ग ए.बी.सी.डी. से होते हुए 12 फीट का रास्ता कायम किया जाये, जिससे में प्रार्थी मेरी आराजी पर काश्त कर सकु।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1, 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो इकबाली जवाब पेश किया। जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त वर्णित नक्शा ट्रेस ए.बी.सी.डी. पर प्रार्थी व अप्रार्थी सभी बरसों से गुजरते है तथा वाहन भी निकालते है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 का जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारकालाल ने रास्ता [illegible] है हमारे द्वारा किसी प्रकार का रास्ता बंद नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि नक्शें में वर्णित रास्ता ए.बी.सी.डी. मार्ग होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5, कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई रास्ता आराजी बंद नहीं किया गया रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा कायम किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षीगण संख्या 3,5,6 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3,5,6 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण रूपकवंर व कैलाश कंवर के खाते से संबंधित किसी प्रकार की कोई रिलिफ प्रार्थना पत्र में नही चाही है,न ही अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

संख्या 5,6 की खाते की कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कोई रास्ता नही आता जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सही हो तो उसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 3 को नहीं है। प्रार्थन पत्र की कॉलम संख्या 2 अस्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिए जो रास्ता कदीमी समय पुराना टंकी के पास से रास्ता राकेश पिता राधेश्याम शर्मा के खेत में होता हुआ प्रार्थी के खेत पर आता है, जिससे प्रार्थी अपने खेत पर काफी समय से आ रहा है तथा उसी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा अन्य प्रार्थी के पडौसी खेत वाले भी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, प्रार्थी के पास वैकल्पिक सुगम रास्ता मौजूद है लेकिन प्रार्थी जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 3 से रंजिश रखते है और रंजिशवंश ही यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी द्वारा जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है वह गलत नक्शा प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा उसी का वह उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है,इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 के खाते में किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंत में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 07 से 12 के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से अप्रार्थी संख्या 04 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 14.6.2024 को मौका रिपोर्ट व जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौका पर्चा रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक की उपस्थिति में तैयार की गई। ग्राम बडोदिया द्वारा मौका निरीक्षण अनुसार आराजी संख्या 167/773 तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने आराजी संख्या 167/773 पर विगत कई वर्षो तक आराजी संख्या 167 की पूर्वी मेड पर एवं आराजी संख्या 575 व 576 की दक्षिणी मेड से हाकर आते जाते थे जबकि मौके पर उपस्थित विपक्षीगण ने उक्त आराजी में आने जानेकी बात से इन्कार किया। मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण में रास्ता चालू करवाने हेतु सहमति नहीं बनी है। मौका एवं सलंग्न नक्शें अनुसार प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है:-

1. प्रस्तावित रास्ता संख्या 01

क्र.सं.	आराजी संख्या	दिशा	लम्बाई	भूमि का क्षे0 जो रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी (वर्गमीटर)	वि0वि0
1	167	पश्चिम	76	76X4= 304	
2.	575	दक्षिण	88	88X2= 176	
3.	574	उत्तर	96	96X2= 192	
4.	576	दक्षिण	148	148X2= 296	
5.	577/774	उत्तर	58	58X2= 116	
5.	577/775	उत्तर	78	78X2= 156	
				कुल क्षेत्रफल=1240 वर्गमीटर	

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते में कुल 1240 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 403847 रू प्रति है0 अथवा 40.38 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 1240 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 1240X40.38=50071/- रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी जमा कराना होगा।

2. प्रस्तावित रास्ता संख्या-02

क्र. सं.	आराजी संख्या	दिशा	लम्बाई	भूमि का क्षे0 जो रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी (वर्गमीटर)	वि0वि0
1	167	पश्चिम	76	76X4= 304	
2.	575	दक्षिण	88	88X4= 352	
3.	576	दक्षिण	148	148X4= 592	
				कुल क्षेत्रफल=1248 वर्गमीटर	

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते में कुल 1248 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 403847 रू प्रति है0 अथवा 40.38 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 1248 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 1248X40.38=[illegible]94/- रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी जमा कराना होगा।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है मुझ प्रार्थी की ग्राम बड़ौदिया प0ह0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076-79 की खाता संख्या 229 खसरा संख्या 167/773 रकबा 2.43 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आराजी पर मै कदीमी समय से बड़ौदिया से भगवतपुरा की गाड़ी गड़ार से होते हुए खसरा संख्या 576, 575, 167 जो नक्शा ट्रेस में ए.बी.सी.डी. मार्क दर्शा रखा है से आता जाता हूं तथा बरसों से काश्त के लिए वाहन भी आते जाते है। आज से करीब सात दिवस पूर्व मैं प्रार्थी खेत पर ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तो मौके पर खसरा संख्या 576 जो अप्रार्थी संख्या 03 है ने पत्थर की दिवार चुनकर रास्ता बन्द कर दिया जिससे मैं मेरे खते पर नहीं जा पाया अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आपसी सहमति से ही मेरे खेत पर आने-जाने का रास्ता बंद किया गया है। उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, रास्ते को तरमीम करने का निवेदन किया है इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में कुल 02 रास्ते नक्शें अनुसार प्रस्तावित किए है। रास्ते हेतु प्रस्ताव संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 167,575, 574, 576, 577/774, 577/775 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। इस संबंध में आराजी संख्या 574, 577/774, 577/775 के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार होने से इनको सुना जाना न्यायोचित है। अतः संशोधित टाईटल के आदेश दिए गए।

वकील प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 574, 577/774, 577/775 के खातेदार को विपक्षी बनाने हेतु संशोधित टाईटल पेश किया तथा न्यायालय द्वारा नोटिस प्रोसेस अप्रार्थी को आवश्यक पक्षकार होने से सुनवाई हेतु जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 07 से 12 अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए तथा अन्य खातेदारों को सुना गया।

तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता जो न्यूनतम दूरी का आराजी संख्या 167,575, 574, 576, 577/774, 577/775 का होने से प्रस्ताव स्वीकार कर विपक्षीगण की आराजी संख्या 167,575, 574, 576, 577/774, 577/775 के मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 167/773 तक जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित होकर मुख्य रास्ते से मिलता है। इस रास्ते में आराजी संख्या 167,575, 574, 576, 577/774, 577/775 (1240 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। ग्राम बडोदिया की आराजी संख्या 167,575, 574, 576, 577/774, 577/775 मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 1240 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 403847/ रू. प्रति है0 से 1240X40.38= 50071 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 1,00,142/- रू बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दूरी के रास्ते मे से आराजी संख्या 167,575, 574, 576, 577/774, 577/775 मे से ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है, अतः प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम बडोदिया पटवार हल्का बडौदिया की आराजी संख्या 167/773 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 से 12 की आराजी संख्या 167,575, 574, 576, 577/774, 577/775 के मेर के सहारे-सहारे कुल 1240 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 1240 वर्गमीटर भूमि डीएलसी दर 403847/ रू. प्रति है0 से 1240X40.38= 50071 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 1,00,142/- (अक्षरे रूपय एक लाख एक सौ बंयालिस रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 से 12 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 1240 वर्गमीटर राशि का भूगतान विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 से 12 को किये [illegible] राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 से 12 को किये जाने बाबत उक्त रा[illegible] ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत [illegible] आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख [illegible] तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:14 IST
Reason: SelfAttested